

संख्या 30 से 32 केवल परफोर्मा पक्षकार होने से विवाद्यक विन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नहीं किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।


साक्ष्य वादी में वकील वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र वादीनी भंवरी एवं वादीनी मधु के प्रस्तुत किये व नकल जमाबंदी सम्वत् 2073-76 मौजा चावली के खाता नम्बर 179 प्रदर्ष-1, कराई। वकील वादी ने ओर साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 29 के विरुद्ध एक पक्षिय कार्यवाही होने से साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को डिक्री करने का निवेदन किया। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनो तथा साक्ष्य के तौर पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी के वाद की आंषिकत: ताईद होती है तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नहीं किया गया है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।


— : आदेश :-


अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 से 8 के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा चावली का खेत खसरान नम्बर 163 रकबा 2.5738 हैक्टेंयर सहखातेदारी में रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. शेष खसरान प्रतिवादीगण संख्या 1 से 29 के यथावत घोषित किये जाते है।
3. उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत रहेगा। बैंक सूचित रहे।


(अमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 20.09.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(अमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल